अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–::निर्णय::–

दिनांकः– 6/1/21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी के गोदपिता व अन्य की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 3.5208 हैक्टेयर मौजा ग्राम धुन्धाड़ा, पटवार हल्का थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के गोद पिता श्री मगाराम के पिता श्री भबूताराम जी के फौत होने पर नामान्तरकरण उनके वारिसानों के नाम दर्ज किया गया जिसमें प्रार्थी के गोद पिता का नाम मघाराम दर्ज किया गया परन्तु उसके बाद राजस्व कर्मचारियों की भूलवश राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के गोद पिता का नाम भगाराम दर्ज कर दिया जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार दर्ज है जो गलत है। प्रार्थी के गोद पिता का सही नाम मगाराम है तथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, गोदनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि में प्रार्थी के गोद पिता का नाम मगाराम दर्ज है तथा अन्य खसरा नम्बर 253, 254 गांव धुन्धाड़िया व खसरा नम्बर 3, 7 ग्राम बेगड़िया में प्रार्थी का नाम खेताराम दत्तक पुत्र मगाराम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के गोद पिता के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी को नामान्तरकरण दर्ज करवाने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी के गोद पिता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 3.5208 हैक्टेयर, मौजा ग्राम धुन्धाड़ा पटवार हल्का थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के गोद पिता का नाम भगाराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम मगाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में भगाराम पि. भबूताराम के स्थान पर मगाराम पि. भबूताराम किया जाना उचित है।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मगाराम है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 192 रकबा 3.5208 हैक्टेयर मौजा ग्राम धुन्धाड़ा, तहसील ओसियां जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के गोद पिता का नाम भगाराम पि. भबूताराम के स्थान पर वास्तविक नाम मगाराम पि. भबूताराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 6/1/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
सहायक कलेक्टर ओसियां

Scanned with CamScanner